(ख) टाइप–बी . 19,981
टाइप–सी . 14,553

(ग) 1672।

(घ) सरकारी वास आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत, यदि कोई अधिकारी आवंटन पत्र प्राप्त करने की तारीख से पांच दिनों के भीतर आवंटन स्वीकार नहीं करता है या स्वीकार करने के पश्चात् आठ दिनों के भीतर मकान का कब्जा नही लेता है तो वह व्यक्ति आवंटन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक दूसरे आवंटन का पात्र नहीं होगा।

पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली के टाइप "ए" के क्वार्टरों में रसोई का निर्माण

2162. **श्रीमती मोनिका दास :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली के "ए" टाइप के क्वार्टरों में रसोई बनाने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमति किस तारीख को दी गयी थी और इस निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीयों को विदेश भेजने वाली कम्पनियों के लाइसेंसों का नवीकरण न किया जाना

2163. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
श्री पी० बाबुल रेड्डी :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीयों को विदेश भेजने वाली पंजीकृत कंपनियों को अपने लाइसेंसो का नवीकरण कराना होता है यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान समय के भीतर अपने लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराया; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि वे कंपनियां अपने लाइसेंसों का नवीकरण कराये बगैर लोगों को विदेश भेजती रहीं; यदि हां, तो उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैय्या) : (क) जी, हां। तीन वर्ष पूरे होने के बाद पंजीकरण नवीकृत कराना आवश्यक है। किसी भी पंजीकरण को नवीकृत करने का अभी समय नहीं हुआ, क्योंकि उत्प्रवास अधिनियम को 30-12-1983 से लागू किया गया।

(ख) जी, नहीं।

Maintenance of roads, buildings etc. in Arunachal Pradesh

2164. SHRIMATI OMEM MOYONG DEORI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many porter tracks, buildings and water supply schemes constructed in Arunachal Pradesh are not maintained properly for want of adequate funds; and

(b) if so, what remedial action is proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Protected water supply schemes in Arunachal Pradesh

2165. SHRIMATI OMEM MOYONG DEORI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that adequate provision has not been made for providing